न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर, म0प्र0
(समक्षः अनिल चौहान)

Registration No.-RCT/01/2019
Filing No.-RCT/19/2019
C.N.R. No.-MP68010000292019
Filing Date- 03-01-2019

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना शिकारपुरा
जिला बुरहानपुर(मध्य–प्रदेश)

.....**अभियोजन**

वि रू द्ध

1. विश्वनाथ पिता मानाजी बेलदार सिरतुरे, आयु–60 वर्ष
2. सुनिल पिता विश्वनाथ बेलदार सिरतुरे, आयु–30 वर्ष
3. देवानंद पिता विश्वनाथ बेलदार सिरतुरे, आयु–32 वर्ष
4. कल्पनाबाई पति सुनिल बेलदार सिरतुरे, आयु–25 वर्ष
5. रंजनाबाई पति गजानंद बेलदार सिरतुरे, आयु–40 वर्ष

सभी निवासी–ग्राम टिटगांव खुर्द,
थाना शिकारपुरा, जिला बुरहानपुर म.प्र.

.....**अभियुक्तगण**

. . . . . .
पुलिस थाना **शिकारपुरा** तहसील **बुरहानपुर** जिला **बुरहानपुर** के अपराध क्रमांक **437/2018** अपराध अंतर्गत धारा **294, 324 भा. दं.सं.** से उद्भूत प्रकरण।
. . . . . .

//नि र्ण य//

(आज दिनांक– **03.01.2019** को घोषित)

1– अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 26.12.2018 को समय 19.00 बजे से 19.10 बजे या उसके लगभग, स्थान फरियादी भागवत के घर के सामने, टिटगांव खुर्द में, जो सार्वजनिक स्थान है, पर फरियादी भागवत एवं आहत सुमनबाई को अश्लील गालियां देकर उन्हें या अन्य सुनने वालों को

क्षोभ कारित किया तथा अभियुक्तगण ने फरियादी भागवत के साथ मारपीट करने का सामान्य निर्मित किया, उसके अग्रसरण में फरियादी भागवत के साथ धारदार वस्तु छूरे से मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की। इस प्रकार वह अपराध कारित किया जो भा.दं.वि. की धारा 294, 324/34 के अंतर्गत दण्डनीय है।

2— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि फरियादी भागवत एवं आहत सुमनबाई ने आज दिनांक 03.01.19 को अभियुक्तगण से राजीनामा कर लेने से, अभियुक्तगण को भा.दं.वि. की धारा 323/34, 506 भाग—दो में दोषमुक्त किया गया है।

3— अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि, फरियादी भागवत बेलदार ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि, वह घटना दिनांक को करीब 7.00 बजे सारोला बाजार से घर टिटगांव कला आ रहा था तो, उसके घर के पास, उसकी गाडी से, उसके भाई विश्वनाथ के घर के सामने थर्माकोल का टफ, जो पानी से भरा रहता है, से टकरा गया, जिससे वह गिर गया। उसने बोला कि टफ बाहर क्यों रखा, इस बात पर से उसके भाई विश्वनाथ, लडका देवानंद, सुनिल नंगी—नंगी गालियां देने लगे, उन्होंने गालियां देने से मना किया तो, तीनों लात मुक्कों से मारपीट करने लगे। उसका भाई मछली मारने का छुरा लेकर आया और दाहिने पैर पर मार दिया, जिससे खून निकलने लगा, उसकी पत्नी सुमनबाई छुडाने आई तो, उसे भी गाली गुफ्तार करने लगे। उसके भाई की बहु कल्पनाबाई और रंजनाबाई ने उसकी पत्नी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की। गांव के सुलोचना, प्रताप ने झगडा छुड़ाया, बचाव किया। अभियुक्तगण कह रहे कि, आज तो बच गये, आईंदा किसी दिन खत्म कर देंगे। उक्त घटना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। बाद अन्वेक्षण अभियोगपत्र न्यायालय में दिनांक 03.01.2019 को प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्तगण ने भा.दं.वि. की धारा 294, 324/34 के आरोपों को अस्वीकार किया तथा अभियुक्तगण का

परीक्षण दं.प्र.सं. की धारा धारा 313 अंतर्गत किये जाने पर, उनके विरूद्ध आये सभी तथ्यों से इंकार किया। बचाव में उनका कहना है कि, वें निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की।

5— अतएवं प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न बिन्दु उद्भूत होते हैं :—

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 26.12.2018 को समय 19.00 बजे से 19.10 बजे या उसके लगभग, स्थान फरियादी भागवत के घर के सामने, टिटगांव खुर्द में, जो सार्वजनिक स्थान है, पर फरियादी भागवत एवं आहत सुमनबाई को अश्लील गालियां देकर उन्हें या अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी भागवत के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में उसके साथ धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छ्या साधारण उपहति कारित की ?

निष्कर्ष और उसके आधार

विचारणीय प्रश्न क.1 एवं 2 का निराकरण :—

टीप :— उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न बिन्दु एक ही घटना से उद्भूत होने से साक्ष्य की विवेचना की पुनरावृत्ति ना हो, इससे बचने के लिये सुविधा अनुसार इनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है :—

6— उक्त संदर्भ में फरियादी भागवत (अ.सा.—1), सुमन (अ.सा.—2), तेजराव (अ.सा.—3) में से प्रत्येक की साक्ष्य को देखा जायें तो, इन साक्षियों ने यह नहीं बताया कि, अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर मॉ बहन की नंगी—नंगी गालियां

दी तथा धारदार वस्तु से मारपीट के विषय में कुछ नहीं बताया। इस पर से अभियोजन ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण में प्रश्न पूछे। प्रतिपरीक्षण के दौरान यह सुझाव दिया कि, अभियुक्त विश्वनाथ ने भागवत को दाहिने पैर पर छुरे से मार दिया तो, इस सुझाव से इंकार किया। इस सुझाव से भी इंकार किया कि, अभियुक्तगण ने उन्हें मॉ बहन की नंगी–नंगी गालियां दी। साक्षी भागवत को प्र.पी.–1 की रिपोर्ट और उसके पुलिस कथन प्र.पी.–2 की ए से ए भाग की घटना पढकर सुनाई तो, रिपोर्ट और कथन देने से इंकार किया। साक्षी का कहना है कि, पुलिस को ऐसे कथन नहीं लिखाये, यदि लिखे हो तो, उसे जानकारी नहीं है तथा साक्षी सुमनबाई, तेजराव को पुलिस कथन प्र.पी.–3, प्र.पी.–4 के ए से ए भाग की घटना पढकर सुनाई तो, ऐसे कथन देने से इंकार किया तथा इस सुझाव से भी इंकार किया कि, तेजराव और सुलोचना ने बीच बचाव किया। साक्षी भागवत ने यह स्पष्टीकरण दिया कि, झगडे में सुलोचना व प्रताप के लडकों ने बीच–बचाव नहीं किया। इस प्रकार उक्त तीनों साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से ऐसी कोई स्वीकृति नहीं आई, जिससे अभियोजन का मामला इस संबंध में शंका से परे प्रमाणित हो कि, अभियुक्तगण ने सामान्य आशय निर्मित किया, उसके अग्रसरण में धारदार वस्तु छुरे से भागवत के साथ मारपीट कर स्वेच्छ्या साधारण उपहति कारित की व भागवत, सुमनबाई को अश्लील गालियां देकर उन्हें तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया। अर्थात् अभियोजन की प्रस्तावित घटना के साथ कोई तथ्य प्रकट नहीं होने से अभियोजन का मामला भा.दं.वि. की धारा 294, 324/34 में शंका से परे प्रमाणित नहीं होता है।

7– यद्यपि साक्षी भागवत, सुमन, तेजराव ने विवाद में उसके पिता को चोट आना बताया है, परंतु भागवत, सुमन ने अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया है, इस कारण से उन्हें धारा 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया है तथा तीनों ने इस सुझाव

से इंकार किया कि, अभियुक्त विश्वनाथ ने छुरे से भागवत को मारपीट की। **अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34 भा.दं.वि. में अभियोजन पत्र पेश नहीं किया है और ना ही आहत भागवत को एम.एल.सी. में धारदार वस्तु से चोट कारित करने का उल्लेख किया गया है।** आरोप पुलिस कथन में छुरे से मारने के आधार पर निर्मित किया है, इसलिये उक्त तीनो साक्षीगण द्वारा विवाद में भागवत को चोट आना बताया है, इसके आधार पर अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.दं.वि. में दोषसिद्ध ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8— यहां स्पष्ट किया जाता है कि, अभियुक्तगण की संख्या 05 है, परंतु घटना का स्वरुप ऐसा नहीं है, जिससे यह माना जायें कि अभियुक्तगण ने विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया, जिनका कोई अपराध करने का उद्देश्य रहा और उसके अग्रसरण में कोई आपराधिक कृत्य किया। घटना अभियुक्त विश्वनाथ, सुनिल, देवानंद द्वारा प्रारंभ की गई, उसके उपरांत अभियुक्त कल्पनाबाई और रंजनाबाई का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। अभियोग पत्र भी धारा 147, 148, 149 भा.दं.वि. में अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है और इस न्यायालय की राय में भी उक्त संबंध में आरोप विरचित किये जाने के आधार दिखाई नहीं देने से, आरोप विरचित नहीं किये गये हैं और ऐसा उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुये किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9— अभियोजन ने मेडिकल साक्षी सुलोचना, राहुल और विवेचना अधिकारी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, किंतु साक्षी भागवत के कथन अनुसार घटना सुलोचनाबाई, राहुल ने नहीं देखी और बीच–बचाव नहीं किया तथा भागवत और सुमनबाई ने अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिया है, उन्होंने अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324/34 भा.दं.वि. में कोई साक्ष्य नहीं दी है तथा भागवत के पुत्र तेजराव ने भी इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है, तब ऐसी स्थिति में साक्षी सुलोचना, राहुल और डॉक्टर धवल पाटील तथा डॉ.

टीनू पांडे, डॉ. वाय.बी. शास्त्री की साक्ष्य का महत्व तब होता, जब आहत भागवत, सुमनबाई अभियुक्तगण के विरुद्ध कथन देते, क्योंकि उक्त साक्षी आहत साक्षियों के समर्थनकारी है। आहत साक्षी जब तक अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करना नहीं बताते, तब तक समर्थनकारी साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर धारा 324/34 भा.दं. वि. जैसे मामले में दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। आहत भागवत धारदार छुरे से मारपीट करने के सुझाव को इंकार कर रहा है, जब भागवत, सुमन, उनका पुत्र तेजराव अभियुक्तगण के विरुद्ध कथन नहीं दे रहे हैं तो, साक्षी राहुल, सुलोचनाबाई, मेडिकल साक्षी, विवेचना अधिकारी की साक्ष्य को आहुत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, इन्हें आहुत करने से अनावश्यक समय व्यय होता। अभियोजन ने पेश भी नहीं किया है, इस दृष्टि से भी मामला शंका से परे प्रमाणित नहीं होता है।

10— अंत में उक्त की गई विवेचना के आधार पर यह न्यायालय साक्षी फरियादी भागवत (असा—1), सुमन (असा—2), तेजराव (असा—3) की साक्ष्य की संपूर्णता से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और ठहराता है कि अभियोजन का मामला इस संबंध में शंका से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय, स्थान पर फरियादी भागवत एवं आहत सुमनबाई को अश्लील गालियां देकर उन्हें तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा अभियुक्तगण ने फरियादीगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी भागवत के साथ धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छ्या साधारण उपहति कारित की।

11— परिणामतः यह न्यायालय अभियुक्तगण को भा. दं.वि. धारा 294, 324/34 के आरोप में शंका का लाभ देते हुए दोषमुक्त करता है।

12— अभियुक्तगण को उनके द्वारा दिये गये जमानत मुचलके से भारमुक्त किया जाता हैं। विचारण समाप्ति का

जो मुचलका पेश किया है वह 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

13— प्रकरण में जप्तशुदा छुरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात्, अपील नहीं होने की दशा में नष्ट किया जाये।

14— प्रकरण में दं.प्र.सं. की धारा 428 का निरोध अवधि प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय लिखाया जाकर, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/—
(अनिल चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुरहानपुर,म0प्र0

सही/—
(अनिल चौहान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुरहानपुर,म0प्र0

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
Digitally signed by ANIL CHOUHAN
Date: 2019.01.03 11:29:44 -08'00'